

प्रेस नोट दिनांक 16.09.2020

- दिनांक 15.09.20 को वादी व0उ0नि0 श्री रामेन्द्र प्रसाद वर्मा थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मोहित तिवारी पुत्र हुल्लास राम तिवारी नि0 कनीगंज थाना को0अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद पिस्टल 32 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 669/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 15.09.20 को वादी उ0नि0 श्री अक्षय कुमार पटेल थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो0 आजम पुत्र मो0 मुनीर नि0 करमपुर थाना अकबरपुर अम्बेडकरनगर गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 419/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 15.09.20 को वादी श्री आदर्श तिवारी पुत्र राम जनम तिवारी निवासी गंगौली थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मन्टू दूबे पुत्र दिनेश दूबे नि0 रसूलाबाद थाना महाराजगंज अयोध्या आदि 03 नफर दवा की होम डिलवरी करने गये वादी को अभि0गंा द्वारा मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 406/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 15.09.20 को वादी श्री भरतराम पुत्र श्रीराम नि0 बल्ली कृपालपुर थाना तारुन अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम तीरथ पुत्र गंापति नि0 बल्ली कृपालपुर थाना तारुन अयोध्या आदि 02 नफर अभि0गंा द्वारा सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाना विरोध करने पर गाली देते हुए हमलवार होना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु0अ0सं0 368/20 धारा 504, 352 भादवि व 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 15.09.20 को वादी उ0नि0 श्री विजयन्त मिश्रा थाना तारुन अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अशोक कुमार पुत्र शम्भू प्रसाद नि0 सोनेडाड़ थाना तारुन अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु0अ0सं0 370/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 15.09.20 को वादी उ0नि0 श्री सर्वदमन सिंह थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कन्हैया लाल गुप्ता पुत्र बिहारी लाल नि0 पटखौली थाना इनायतनगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 585/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 15.09.20 को वादी उ0नि0 श्री भीमसेन यादव थाना ख डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि धर्मराज पुत्र भभूति रावत नि0 परसन का पुरवा थाना को0रुदौली अयोध्या आदि 03 नफर अभियुक्तग 1 के कब्जे से 60 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब व 05 किग्रा यूरिया तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद होना। जिसके संबंध में थाना ख डासा में मु0अ0सं0 389/20 धारा 60(2) आबकारी अधि0 व 272 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 15.09.20 को वादी उ0नि0 श्री ब्रम्हदत्त पा डेय थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि नासिर पुत्र स्व0 ऐनुल हक नि0 नवाब बाजार थाना को0रुदौली अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 352/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 15.09.20 को वादी उ0नि0 श्री कर्मवीर सिंह थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजू पुत्र मन्तू लाल नि0 मवई थाना मवई अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 411/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 15.09.20 को वादी उ0नि0 श्री पंकज कुमार सिंह थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि गुड्डू रावत पुत्र राम शंकर नि0 पासिन का पुरवा मजरे ख ड पिपरा थाना पटरंगा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 184/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 15.09.20 को वादी उ0नि0 श्री पंकज कुमार सिंह थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम भगेलू रावत पुत्र राम खेलावन रावत नि0 पासिन का पुरवा मजरे ख ड पिपरा थाना पटरंगा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 185/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

12. दिनांक 15.09.20 को वादी उ०नि० श्री पंकज कुमार सिंह थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रिन्कू गौतम पुत्र जग्जीवन गौतम नि० ख ड पिपरा थाना पटरंगा अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 186/20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

13. दिनांक 15.09.20 को वादी उ०नि० श्री जितेन्द्र यादव थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि परीदीन पुत्र सन्तराम नि० डिलवल थाना पटरंगा अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 187/20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।